

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 1341/14-1 दिनांक, 07 फरवरी, 2024

सेवा में

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, उ
उन्नाव।

विषय:- जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3634 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी/यूपी/06/104/2023/एफसी/494 दिनांक 01.02.2024 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०-1960/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/25904/2017 दि०-07.02.2024।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अति मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको एवं अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3634 हे० आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निहित शर्तों पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दि०-01.02.2024 में उल्लिखित बिन्दु सं०-01 से 31 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

बिन्दु सं०-2 प्रभावित वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सी०ए० की धनराशि रू०-18,90,000.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

बिन्दु सं०-6 प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि-क्षेत्रफल-7.3624हे०x957780 (प्रति हे० संशोधित दर) रू०-70,51,560.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

बिन्दु सं०-29 प्रभावित वन भूमि पर रोड साइड फेंसिंग हेतु धनराशि (प्राक्कलन संलग्नक है) रू०-14,50,000.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सी०ए० की धनराशि रू०-18,90,000.00 (रू०-अट्ठारह लाख नब्बे हजार मात्र) तथा एन०पी०वी० की धनराशि रू०-70,51,560.00 (रू०-सत्तर लाख इक्कयावन हजार पाच सौ साठ मात्र) तथा प्रभावित वन भूमि पर रोड साइड फेंसिंग हेतु धनराशि (प्राक्कलन संलग्नक है) रू०-14,50,000.00 को ऑनलाइन पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में 01 प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इंगित बिन्दु सं०-01 से 31 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस

कार्यालय को 01 प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक / समदिनांक

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको पृष्ठांकित है, के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, का प्रमाण पत्र 01 प्रति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3824 हे० आरक्षित वनभूमि के मार्ग के किनारे तार-बाड़ फेंसिंग का प्राक्कलन।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	कुल धनराशि
1	आन्तरीय खम्भों का मूल्य वन सहित (0.15 X 10 X 1.18)	प्रति ख०	1840 00	404.00	743360.00
2	काटेदार तार का मूल्य (200 रनिंग मी० प्रति हे०)	प्रति टन	3.30	84892.50	280145.25
3	आन्तरीय खम्भों की प्राउटिंग 6.3.1 सीमेंट कंक्रीट	प्रति खम्भा	1840	196.00	360640.00
4	खम्भों का स्थानीय ढुलान	प्रति खम्भा	1840	3.78	6955.20
5	तार की बिछाई	रु०	46000.0	0.98	45080.00
योग					1436180.45
अन्य व्यय					13820.00
कुल योग-					1450000.45

उपरोक्त दर मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक दानिजी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय की दर सं०-जी०२५४/१५-१ (सीलिंग दर) दिनांक 12

02.2021 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिजी वन प्रभाग
उन्नाव।